भारत डायनामिक्स लिमिटेड

<u>एकता समझौता</u>

1. प्रस्तावना

1.1 ग्रुप / प्रभाग के प्रधान द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला भारत सरकार का उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड आगे से क्रेता / खरीदार और पहली पार्टी .... (उपकरण का नाम) जो आगे से भण्डार नाम से अभिहित किया जाएगा, खरीदने का प्रस्ताव रखता है और .... द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला (संविदा द्वारा जब तक सूचित न किया जाए, तब तक इसमें उत्तराधिकारी और इसके समनुदेशिती शामिल माने जाएँ गे) मेसर्स .... आगे से बिडर (उद्यमी, आपूर्तिकर्ता, विक्रेता शामिल हैं) / ठेकेदार और दूसरी पार्टी के रूप में अभिहित किया जाता है - को अपने भण्डार की बिक्री का प्रस्ताव रखना चाहता है / रखा है.

1.2 बिडर वह है जो इस विषय के संबंधित विधि / कानून के अनुसार गठित निजी कंपनी / सार्वजनिक कंपनी / सरकारी उपक्रम / भागीदार/ पंजीकृत निर्यात एजेंसी हो और क्रेता भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्वाधीन रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है.

1.3 क्रेता सभी संबंधित विधि / कानून एवं विनियम, संसाधनों की किफ़ायती उपयोग संबंधी नियम का पूर्ण अनुपालन करता है और अपने बिडर / ठेकेदार के साथ स्पष्ट व पारदर्शी संबंध रखता है.

1.4 एच ई आर ई आई एन में उल्लिखित नियमों के अनुपालन उद्देश्य से केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र बाहय अनुवीक्षक (आई ई एम) द्वारा आरंभ से लेकर संविदा के कार्यान्वयन तक का निविदा प्रक्रिया का अनुवीक्षण किया जाएगा.

1.5 क्रेता, इस समझौते पर हस्ताक्षर न करने वाले / इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले सभी बिडर को निविदा प्रक्रिया से बाहर कर देने का अधिकार रखता है.

1.6 प्रत्येक संविदा का अनुमानित मूल्य निम्न प्रकार होने की स्थितिमें बिडर के साथ एकता समझौता पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए :

सिविल कार्य के लिए	रु. 10 करोड़ और उससे ऊपर
पूँजीगत मदों के लिए	रु. 5 करोड़ और उससे ऊपर
सेवा संविदाओं के लिए	रु. 2 करोड़ और उससे ऊपर
राजस्व मदों के लिए	रु. 20 करोड़ और उससे ऊपर

उपर्युक्त मानदंड / मूल्य समय-समय पर परिवर्तित हो सकते हैं.

ई आर पी विषय के तहत, तकनीकी तथा मूल्य प्रस्ताव के समय विक्रेता को अलग एन्वलाप कवर पर 'एकता समझौता' शीर्षक लिखकर एकता समझौता पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा.

1.7 इस दस्तावेज में प्रयुक्त संक्षिप्तयों की सूची :

बी डी एल	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
पी एस यू	-	सार्वजनिक उपक्रम
जी ओ आई	-	भारत सरकार
आई पी	-	एकता समझौता
सी एम डी	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
आई एम एम एस	-	स्वातंत्र बाह्य अनुवीक्षक
आई पी बी जी	-	एकता समझौता बैंक गारंटी
सी वी सी	-	मुख्य सतर्कता आयुक्त

2. उद्देश्य

2.1 अत: आगामी संविदाओं से पूर्व, संविदा के दौरान और संविदा के बाद के व्यवहारों में स्पष्ट, पारदर्शी व किसी भी प्रकार के प्रभाव / पूर्वाग्रहमुक्त प्रणाली को अपनाते हुए सभी प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अब क्रेता और बिडर इस संविदा पूर्व करार में प्रवेश करेंगे जो आगे से एकता समझौता कहलाएगा. इस एकता समझौता का उद्देश्य है :

2.1.1 सार्वजनिक खरीद पर अत्यधिक लागत तथा भ्रष्टाचार के विनाशकारी/विरूपकारी प्रभाव से बचते हुए सेवा की विनिर्दिष्टताओं के अनुसार प्रतियोगी दर से क्रेता को वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए :

2.1.2 यह बताते हुए कि उनके प्रतिस्पर्धी भी रिश्वत या भ्रष्टाचार के अन्य मार्गों से दूर रखे जाने का आश्वासन देकर, संविदा अपनाने के लिए रिश्वत या किसी अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार मार्ग अपनाने से बिडर को दूर रखना. क्रेता, पारदर्शी पद्धति अपनाते हुए अपने अधिकारियों द्वारा किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होगा.

3. क्रेता की प्रतिबद्धताएँ

3.1 क्रेता निम्न बातों के प्रति स्वयं प्रतिबद्ध है :

3.1.1 क्रेता वचन देता है कि संविदा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा क्रेता का कोई भी अधिकारी संविदा की स्वीकृति के लिए प्रत्यक्षत: या माध्यवर्तियों के माध्यम से बिडर से स्वयं के लिए या किसी अन्य के लिए या संगठन या फिर संविदा से संबंधित तीसरी पार्टी के लिए बिडिंग प्रक्रिया, बिड मूल्यांकन, कंट्राक्टिंग या संवेदा संबंधी कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान किसी फायदे की अदला-बदली के लिए किसी भी प्रकार का रिश्वत, प्रतिफल, उपहार, पारितोषिक, मदद या मूर्त या अमूर्त लाभ या कोई भी अन्य प्रकार के हित के लिए माँ ग नहीं करेगा.

3.1.2 संविदा के पूर्व चरण में क्रेता, सभी बिडर के साथ एक-जैसा व्यवहार करेगा. सभी बिडर को एक ही सूचना देगा. साथ ही, अन्य बिडर को छोड़ कर किसी एक बिडर को ऐसी कोई सूचना नहीं देगा, जिससे कि अन्य बिडर की तुलना में उस निर्दिष्ट बिडर को फायदा हो.

3.1.3 यदि कोई अधिकारी उक्त प्रतिबद्धताओंका अतिक्रमण करता या करने की कोशिश करता हो या फिर इस प्रकार के अतिक्रमण का पर्याप्त संदेह होता हो, ऐसी स्थिति में सभी अधिकारी क्रेता के उचित प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे.

3.1.4 क्रेता का कोई भी कर्मचारी व्यक्तिश: या परिजनों के माध्यम से निविदा या निविदा के कार्यान्वयन से संबंध नहीं रखेगा और निविदा की स्वीकृति के लिए स्वयं या तीसरी पार्टी के लिए किसी भी तरह के सामग्रीपरक हित की माँ ग नहीं करेगा जो विधिक तौर पर वह अहर्य नहीं है.

3.1.5 क्रेता अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा.

3.1.6 संविदा के हर चरण में स्पष्टता और पारदर्शिता होगी. तकनीकी बिड या मूल्य बिड को अंतिम रूप देने वाली प्रक्रियाओं सहित सभी प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता अपनायी जाएगी.

3.1.7 क्रेता समय पर भुगतान का आश्वासन देगा.

3.2 यदि बिडर द्वारा क्रेता को पूर्ण व परीक्षणीय तथ्य सहित किसी भी अधिकारी की ओर से पूर्ववर्ती कदाचार की रिपोर्ट की जाती हो और जिसकी प्रति आई ई एम को भेजी जाती हो और जो प्रथम दृष्ट्या क्रेता द्वारा सही पाया जाता हो तो ऐसी स्थिति में बिडर द्वारा क्रिमिनल कार्रवाई सहित कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई या अन्य कोई उचित कार्रवाई की जाएगी. ऐसे अधिकारी को संविदा प्रक्रिया से संबंधित मामलों से दूर रखा जाएगा. उक्त कारण के चलते किसी अधिकारी के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्रवाई के दौरान संविदा को स्थगित करने या अपने विवेकाधिकार के अधीन बिडर को संविदा आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए क्रेता स्वतंत्र होता है.

4. बिडर की प्रतिबद्धताएँ

4.1 संविदा अपनाने के लिए या आगे इसे बनाये रखने के लिए अपनी बिड के किसी भी चरण के दौरान या पूर्व-संविदा या पश्च-संविदा के किसी चरण के दौरान भ्रष्टाचार कार्य, अस्पष्ट माध्यम और अवैध गतिविधियाँ रोकने के लिए बिडरद्वारा आवश्यक निम्न सभी प्रकार के मानदंड अपनाये जाएँ गे :

4.1.1 बिडर द्वारा बिडिंग प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए क्रेता के किसी भी अधिकारी को या बिडिंग मूल्यांकन, संविदा या संविदा के कार्यान्वयन में लाभ के अदला-बदली में किसी व्यक्ति, संगठन या तीसरी पार्टी को स्वयं या मध्यवर्तियों के माध्यम से किसी प्रकार का रिश्वत, प्रयोजन, उपहार, प्रतिफल, हित या कोई मूर्त या अमूर्त लाभ या कोई अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, ब्रोकरेज या प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा.

4.1.2 आगे बिडर, यह भी वचन देता है कि उसने क्रेता के किसी अधिकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविदा की खरीदी या किसी संविदा के कार्यान्वयन में मदद करने या किये जाने या किसी दूसरी संविदा से संबंधित किसी व्यक्ति को सहयोग / असहयोग करने या क्रेता की किसी दूसरी संविदा के लिए किसी प्रकार का रिश्वत, प्रयोजन, उपहार, प्रतिफल, हित या कोई मूर्त या अमूर्त लाभ या कोई अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, ब्रोकरेज या प्रोत्साहन न दिया है, न देने का प्रस्ताव है और न ही देने का वादा किया गया है.

4.1.3 बिडर, संविदा की बिडिंग प्रक्रिया, बिड मूल्यांकन, कांट्राक्टिंग और कार्यान्वयन की प्रगति, पारदर्शिता तथा उसकी स्पष्टता को क्षति पहुँचाने के लिए इस संविदा में इच्छुक किसी अन्य पार्टी के साथ सॉ ब्गॉ ठ नहीं रखेंगे.

4.1.4 बिडर, किसी प्रकार की भ्रष्टाचार-रीतियों, अस्पष्ट माध्यमों तथा अवैध गतिविधियों के बदले किसी भी प्रकार के लाभ को स्वीकार नहीं करेगा.

4.1.5 आगे, बिडर, विक्रेता को यह स्पष्ट कर घोषणा करता है कि बिडर रक्षा भण्डार के मूल विनिर्माता / एकीकर्ता / प्राधिकृत सरकार द्वारा प्रायोजित निर्यात इकाई है. और क्रेता या इसके अन्य प्रकार्यों को सरकारी या गैर-सरकारी तौर पर किसी भी तरह से सिफारिश करने, मध्यस्थता करने या सरलीकरण के लिए किसी भारतीय या विदेशी व्यक्ति या फर्म या कंपनी को अपनाया नहीं गया है. और न ही इस प्रकार की सिफारिश, मध्यस्थता या सरलीकरण के लिए ऐसे किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को नक़द का भुगतान किया गया है न भुगतान करने का वादा किया गया है और न ही करने का संकेत है.

4.1.6 बिडर को या तो बिड प्रस्तुत करते समय या पूर्व-संविदा बातचीत या संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व क्रेता के अधिकारी या उनके परिजन, संविदा से संबंध रखनेवाले एजेंट, ब्रोकर या अन्य कोई मध्यवर्तियों को दिये गये या देने के लिए वादा किये गये या देनेवाले नक़द तथा उस नकद के प्रति करने के लिए स्वीकृत काम की घोषणा करनी होगी.

4.1.7 संव्यवहार संबंध के अंतर्गत क्रेता द्वारा दिया गया किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉटा कैरियर में दी गई सूचना सहित योजनाएँ, तकनीकी प्रस्ताव तथा संव्यवहार विवरण बिडर असंगत रूप से, प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ या हानि या किसी दूसरे के हित के लिए उपयोग नहीं करेगा.

4.1.8 पूर्ण एवं परीक्षणीय तथ्यों के बिना क्रेता के विरुद्ध प्रत्यक्ष या अन्य माध्यमों से शिकायत करने या गलत आरोप / कथन लगाने से बचने के लिए बिडर प्रतिबद्ध होगा.

4.1.9 विदेशी बिडर भारत के अपने प्रतिनिधि / एजेंट के नाम / पता की घोषणा करेंगे और इसी प्रकार भारतीय बिडर अपने विदेशी प्रिंसिलप / असोसिएट / एजेंट / सहभागीदारों के नाम / पता की घोषणा करेंगे.

4.1.10 यदि बिडर से किसी तरह के रिश्वत या अवैध भुगतान / लाभ / हित की माँ ग की जाती हो तो वह इसे स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षकों (आई ई एम) को इसकी सूचना देगा.

4.1.11 यदि क्रेता के बारे में कोई अवैध / अनैतिक व्यवहार सामने आता हो, तो बिडर इसकी जानकारी स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षकों (आई ई एम) को देगा.

4.1.12 किसी कंपनी के अतिक्रमण / दुराचार जो एकता / भ्रष्टाचार विरोध नियम को क्षति पहुँचाते हो, तो बिडर इसका विवरण घोषित करेगा.

4.1.13 बिडर, निविदा के शर्तें एवं विनियमों की तुलना में अपने प्रस्ताव से होने वाले लाभ को सूचित कर सकता है. बिडर दूसरे बिडर के प्रस्ताव / उत्पादों पर कोई ऐसी टीका-टिप्पणी नहीं करेगा जिससे कि क्रेता के निर्णय को प्रभावित करें.

4.1.14 अपने स्टॉफ, परामर्शदाता, पेरेंट तथा सहयोगी तथा सहायक कंपनियों, एजेंट, कंसोर्शयम तथा संयुक्त वेंचर भागीदार, उप-ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ताएँ इस एकता समझौता के प्रावधानों का अनुपालन करे, बिडर इसकी सभी आवश्यक कदम उठाएगा.

4.1.15 इस एकता समझौता के प्रावधानों का अनुपालन अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बिडर एक वरिष्ठ प्रबंधक को नियुक्त करेगा.

4.1.16 यदि बिडर भागीदारिता या कंसोर्शियम हो तो एकता समझौते पर सभी भागीदार या कंसोर्शियम सदस्यों के हस्ताक्षर लेने होंगे.

4.1.17 बिडर अपने सभी उप-ठेकेदार से इस एकता समझौते के संबंध में प्रतिबद्धता संगतता की माँ ग करता है और इसे संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले क्रेता को प्रस्तुत करता है.

4.2 बिडर उपर्युक्त किसी भी गतिविधियों के लिए किसी भी तीसरी पार्टी को न उकसाएगा या उकसाने का कारण बनेगा.

5. पूर्व अपराध / उल्लंघन

5.1 बिडर घोषणा करता है कि इस एकता समझौता पर हस्ताक्षर करने से तुरंत पूर्व तीन वर्ष में अपने द्वारा देश के किसी कंपनी या भारत के किसी सार्वजनिक उपक्रम या भारत के किसी भी सरकारी विभाग के साथ भ्रष्टाचार के संबंध में किसी प्रकार का अपराध / उल्लंघन नहीं किया गया है जिससे निविदा प्रक्रिया से बिडर को बाहर किया जा सकता हो.

5.2 यदि इस विषय पर बिडर गलत घोषणा करता हो तो उसे निविदा प्रक्रिया या संविदा या फिर संविदा दे दी चुकी हो तो इस कारण से उसे अयोग्य घोषित कर संविदा से बाहर किया जा सकता है.

6. कंपनी की आचरण संहिता

6.1 बिडर को सलाह दी जाती है कि उनकी कंपनी की अपनी एक आचरण संहिता (रिश्वत तथा अन्य अनैतिक व्यवहार का स्पष्टत: इनकार करते हुए) हो और पूरी कंपनी में इस आचरण संहिता के अनुपालन के लिए एक कार्यक्रम हो.

7. उल्लंघन के लिए दंड / जुर्माना

7.1 बिडर या उसके द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी या उसके प्रतिनिधि (बिडर की जानकारी से या बिना उसकी जानकारी से) द्वारा उक्त किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन या बिडर या उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का अपराध किये जाने पर क्रेता को इंडियन पीनल कोड, 1860 के अध्याय IX में उल्लिखित अनुसार या भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम, 1988 अनुसार या फिर भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए बने अधिनियम के तहत बने सभी या निम्न में से कोई कार्रवाई आवश्यकतानुसार करने का अधिकार रखता है:

(i) बिडर को बिना कुछ कारण बताये या बिना कुछ मुआवज़ा दिये संविदा पूर्व संधि-वार्ता / सौदा समाप्त करना. यद्यपि दूसरे बिडर के साथ प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं.

(ii) क्रेता के निर्णयानुसार आई पी बी जी पूर्णत: या अंशत: अपवर्तित रहेगी इसके लिए क्रेता को किसी प्रकार का कारण / बताने की आवश्यकता नहीं है.

(iii) बिडर को बिना कुछ मुआवज़ा दिये हस्ताक्षरित संविदा रद्द कर दी जा सकती है.

(iv) क्रेता द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि की वसूली के संबंध में भारतीय बिडर के संदर्भ में वर्तमान प्रमुख उधार दर से 2 प्रतिशत अधिक और विदेशी बिडर के संदर्भ में एल आई बी ओ आर से 2 प्रतिशत अधिक राशि वसूली जाती है. किसी अन्य भण्डार की अन्य संविदा के संबंध में क्रेता की ओर से बिडर को भुगतान बकाया हो तो उस राशि का उपयोग उक्त राशि एवं ब्याज की वसूली के लिए वसूल करना.

(v) बिडर द्वारा अग्रिम बैंक गैरंटी तथा कार्यनिष्पादन बांड / वारंटी बांड दिये जाने की स्थिति में क्रेता द्वारा कर दिये गये भुगतान की ब्याज सहित वसूली के लिए.

(vi) बिडर के साथ सभी या कुछ संविदाएँ रद्द करने के लिए.

(vii) क्रेता के किसी बिड में से बिडर को पाँच वर्ष तक बहिष्कृत कर देना. क्रेता के विवेकाधिकार के अधीन यह समय आगे बढ़ाया जा सकता है.

(viii) संविदा की सुरक्षा की दृष्टि से इस समझौते के उल्लंघन में बिडर द्वारा किसी मध्यवर्ती / एजेंट या ब्रोकर को दी गई राशि वसूल करना.

(ix) बिडर या बिडर का कोई कर्मचारी या बिडर का कोई प्रतिनिधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, क्रेता के किसी अधिकारी के साथ निकट संबंध रखता हो या इसके विपरीत क्रेता के किसी अधिकारी का निकट संबंधी, बिडर के फर्म में वित्तीय रुचि / स्टेक रखता हो तो बिडर को निविदा भरते समय इसकी घोषणा करनी होगी. इस तरह की घोषणा करन में विफल होने की स्थिति में क्रेता, बिडर को बिना भुगतान किये या बिना मुआवज़ा दिये संविदा रद्द करेगा.

इस उद्देश्य के लिए 'निकट संबंधी' का मतलब है क्रेता के कर्मचारी के साथ रह रहे या न रह रहे जीवन-साथी, लेकिन डिक्री या सक्षम अदालत की डिक्री या आदेश से क्रेता के कर्मचारी से अलग हुए जीवन-साथी 'निकट संबंधी' में शामिल नहीं होंगे. साथ ही, पुत्र या पुत्री या सौतेले पुत्र या सौतेली पुत्री और क्रेता के कर्मचारी पर पूर्णत: आश्रित 'निकट संबंधी' माने जाएँगे जबकि ऐसे पुत्र या सौतेले पुत्र जो क्रेता के कर्मचारी के अब आश्रित नहीं रहे और या किसी विधि के अधीन क्रेता के कर्मचारी की कस्टडी वंचित की गई हो ऐसे पुत्र या सौतेले पुत्र निकट संबंधी के

अंतर्गत शामिल नहीं होंगे. रक्त संबंध या वैवाहिक संबंध से कोई भी व्यक्ति जो क्रेता के कर्मचारी के पति या पत्नी और क्रेता के कर्मचारी पर पूर्णत: आश्रित हों.

(x) बिडर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, क्रेता के किसी कर्मचारी से नकद का न उधार लेंगे और न ही वित्तीय लेन-देन में शामिल होंगे. यदि ऐसे किये जाने पर क्रेता तत्काल संविदा और बिडर के साथ सभी अन्य संविदा रद्द कर सकता है. इस प्रकार की किसी निरसन से क्रेता को होने वाले किसी भी प्रकार की हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति देने के लिए बिडर जिम्मेदार होगा. क्रेता, बिडर को देय बकाया राशि में से देय राशि में से कटौती करने का अधिकार रखता है.

(xi) बिडर के साथ क्रेता द्वारा हस्ताक्षित किन्हीं संविदाओं से संबंधित ऋण संबंधी अप्रतिसंहरणीय पत्र की प्राप्ति पर वे खोले नहीं जाएँ गे.

7.2 यदि क्रेता द्वारा माना जाता है कि बिडर ने एकता समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो वह निर्णय अंतिम होगा और बिडर की ओर से, बिडर इस एकता समझौता के उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षकों से मिल सकता है.

7.3 यदि बिडर, संविदा प्राप्त करने से पहले, बिडर की प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन द्वारा कोई गंभीर अतिक्रमण करता है या बिडर की विश्वसनीयता या प्रशंसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाने वाला कोई काम करता हो, तो ऐसी स्थिति में क्रेता, बिडर को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने या यदि संविदा पर हस्ताक्षरित हो जाने की स्थिति में इस कारण से संविदा से बहिष्कृत करने का अधिकार रखता है. यदि बिडर साबित कर सकता है कि उसने अपने द्वारा हुई हानि / क्षति की भरपाई कर दी है और उसने उचित भ्रष्टाचार रोकथाम प्रणाली स्थापित की है तो क्रेता समय से पहले अपवर्जन का प्रतिसंहरण कर सकता है.

7.4 इस प्रकार के अपवर्जन के लिए पुन:छटाई करने के क्रेता के पूर्ण अधिकार को बिडर स्वीकार करता है और इसका सम्मान कर इसे बनाए रखने के पति वचनबद्ध रहता है. साथ ही, आगे भी इस प्रकार के अपवर्जन के लिए पुन:छटाई करने के निर्णय से पूर्व हिंयरिंग न होने के दावा सहित किसी भी अन्य आधार पर इस प्रकार के प्रतिसंहरण के लिए न चुनौती देने या न सवाल करने की स्वीकृति और वचन देता है.

7.5 उपलब्ध साक्ष्यों में कोई युक्तियुक्त संशय न पाने पर माना जाता है कि अतिक्रमण हुआ है.

7.6 यदि क्रेता की ओर से प्रावधानों में किसी तरह का उल्लंघन होता हो तो व्यक्तिगत रूप से उचित कार्रवाई की जाएगी.

8. स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षक

8.1 क्रेता ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के परामर्श से इस एकता समझौते के लिए स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षकों की नियुक्ति की है. उनका विवरण इस प्रकार है -

1. लेफ्टेनेंट जनरल अरविंद महाजन
   पिवसेमे, अविसेमे, विसेमे एवं बॉर, एफ आई ई (नि.)
   वी-12/18, डी एल एफ फेज़-III
   गुड़गाँ व्र हरियाणा-122001.
   दूरभाष : 0124-4009818
   मोबाइल : +91-9818714518
2. डॉ. अशोक नारायण, आई ए एस (नि.)
   'घर'
   प्लाट नं. 852
   सेक्टर 8
   गांधी नगर, गुजरात-382007
   दूरभाष : 079-23260360
   मोबाइल : +91-9727682889

8.2 जैसे ही स्वतंत्र बाह्य निरीक्षकों को इस समझौते के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है या सूचना में विश्वास करते हैं तो वे इस शिकायत / सूचना का प्रथमदष्ट्या संज्ञान लेते हैं और संबंधित रिकॉर्ड मँगवाकर उनके विवरणों पर ध्यान देते हैं. साथ ही, समानांतर रूप से बी डी एल के सी एम डी को इसकी सूचना देते हैं.

8.3 आवश्यक समझे जाने पर बिडर अपने बिड से संबंधित जानकारी स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षकों को दे सकते हैं.

8.4 खरीद के संबंध में एकता समझौते के उल्लंघन पर क्रेता को यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो क्रेता, टिप्पणी / जाँच के लिए इसे स्वतंत्र बाहय अनुवीक्षकों को अग्रेषित करेगा.

8.5 यदि स्वतंत्रा बाह्य अनुवीक्षक क्रेता द्वारा भेजी गई शिकायत संबंधी रिकॉर्ड का अवलोकन करना चाहे तो क्रेता रिकॉर्ड के इस अवलोकन के लिए आवश्यक प्रबंध करेगा.

8.6 स्वतंत्र बाह्य निरीक्षक प्राप्त सभी शिकायतों की जाँच करेंगे और अपनी सिफारिशें / विचार सी एम डी, बी डी एल को यथाशीघ्र प्रस्तुत करेंगे. ऐसे मामले जिनमें कानूनी / प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता का संदेह हो, ऐसे मामलों की रिपोर्ट स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षक सीधे मुख्य सतर्कता आयोग को भेज सकते हैं.

8.7 स्वतंत्र बाह्य निदेशक, निदेशक-मंडल के स्वतंत्र निदेशकों को उपलब्ध कराए जा रहे शर्तों के अधीन प्रतिपूर्ति के लिए अहर्य होंगे.

9. लेखा-बहियों की जॉ च

इस एकता समझौता के किन्हीं प्रावधानों के उल्लंघन या कमिशन के भुगतान के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्यों सहित कोई लिखित आरोप प्राप्त होता है तो संविदा की देखभाल करने वाले क्रेता या इसके एजेंसी या स्वतंत्र बाहय अनुवीक्षक, बिडर कीलेखा बहियों की जॉ च करने केलिए हकदार होंगे. बिडर संबंधित वित्तीय दस्तावेज संबंधी आवश्यक सूचना अंग्रेज़ी में प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार की जॉ च के लिए हरसंभव सहयोग देगा.

10. कानून एवं अधिकारिता का स्थान

यह एकता समझौता भारतीय कानून से संबंधित है. और इसका अधिकारिता-क्षेत्र हैदराबाद, भारत है.

11. अन्य कानूनी कार्रवाइयॉ

इस एकता समझौते में अनुबंधित कार्रवाइयॉ, किसी सिविल या क्रिमिनल कार्यवाहियों से संबंधित लागू वर्तमान कानून के प्रावधानों के तहत होने वाली कानूनी कार्रवाइयों के पूर्वाग्रह से मुक्तहैं.

12. वैधता

12.1 इस एकता समझौता की वैधता हस्ताक्षर की तिथि से आरंभ होगी और 12 महीने तक या क्रेता और बिडर की संतुष्टि पर संविदा के पूर्ण कार्यान्वयन तक दोनों में से जो भी तिथि बाद में आए, तब तक होगी.

12.2 इस समझौते के एक या कई प्रावधान अवैध सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन इस समझौते के शेष अंश वैध रहेंगे. इस संदर्भ में, दोनों पार्टी अपने मूल उद्देश्य पर एक करार पर आने का प्रयास करेंगे.

एतत् द्वारा पार्टियॉ दि. .... को .... पर इस एकता समझौते पर हस्ताक्षर करती हैं.

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

क्रेता	बिडर
ग्रुप / प्रभाग का प्रधान	मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा
भारत डायनामिक्स लिमिटेड	प्राधिकृत प्रतिनिधि

साक्षी	साक्षी
1. ________________________	1. ________________________
2. ________________________	2. ________________________